

नारी और धार्मिक क्षेत्र

पत्नीव्रत की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु समाज में उच्च-वर्णी वर्ग के व्यक्ति एवं राजवंश के व्यक्ति एक से अधिक पत्नीयों रखते थे।

विधवा विवाह : विधवा स्त्री को निमोग प्रथा द्वारा पुनः प्राप्ति का अधिकार था। इस प्रकार पुनः प्राप्ति के लिए इस काल में विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा मिली।

निमोग प्रथा : निमोग प्रथा से तात्पर्य है की यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी अथवा उसका पति सन्तान उत्पन्न करने में अक्षम था तो स्त्री को भद्र अनुमती दे दी जाती थी की वह किसी अन्य निम्नतम सगे सम्बन्धीयों से शादी कर लें।

→ • ऋग्वेदिक काल में स्त्री प्रथा का अभाव देखने को मिलता है।

→ • ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा का भी अभाव था।

→ • **नारी और धार्मिक क्षेत्र :** वैदिक युगों में स्त्रियों को वे सब अधिकार प्राप्त थे, जो पुरुषों को प्राप्त थे। धार्मिक (यज्ञों से सम्बन्धित) एवं धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ पति की उपस्थिति अनिवार्य थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से यज्ञ जैसे अनुष्ठानों करने की स्वतंत्रता थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नारी के बिना पूरा नहीं सम्पन्न होता था।

→ • **नारी और राजनीतिक क्षेत्र :** ऋग्वेद के उल्लेख से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ समा एवं समिति में सक्रिय रूप से भागीदार होती थीं।

→ • ऋग्वेदिक काल में नारियों को सम्पत्ति पर पुरुषों की तुलना में समान रूप से समान अधिकार प्राप्त नहीं थे।

→ • **उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति :** इस काल में स्त्रियों की स्थिति/स्थिती में थोड़ी गिरावट आ गयी। कन्या का जन्म कष्ट का कारण माना जाता था।